न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 738/2024

अनवान : –

1. श्योकतं अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति तेली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/8/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 516/514 की कुल 2.0230 हैक्ट भूमि 1/4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 517/513 की कुल 2.9660 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम श्योकत अली दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज यथा आधार कार्ड आदि के आधार पर शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद के स्थान पर श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही तस्लीम कर लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत मे इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:31:35 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा [illegible] मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना [illegible]।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद भूमि में वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद दर्ज है जबकि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का सही व वास्तविक नाम श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 516/514 की कुल 2.0230 हैक्ट भूमि 1/4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 517/513 की कुल 2.9660 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि में वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद दर्ज है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 516/514 की कुल 2.0230 हैक्ट भूमि 1/4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 517/513 की कुल 2.9660 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद के स्थान पर श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:31:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 738/2024
अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति तेली निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 738 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/8/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 516/514 की कुल 2.0230 हैक्ट भूमि 1/4 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 517/513 की कुल 2.9660 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद के स्थान पर श्योकत अली पुत्र शेर मोहम्मद** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम शोकतअली पुत्र शेरमोहम्मद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:31:35 IST
Reason: SelfAttested